पत्र

प्रार्थना पत्र अधि. उपधारा धारा 164 अधि उपधारा मूल प्रार्थना-पत्र पर दर्ज की गई। वादकरा/अधि. अधिवक्ता व प्रत्यर्थी अधिवक्ता उपस्थित रहे। वाद पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र उपस्थित साक्षियों का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थी को पुनः सम्पर्क करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 5/7/2023 को स्वीकार कर लिया गया है। प्रार्थना अस्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र निरस्त होकर समाप्त किया जाता है। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर